आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–19 / 2023

17.11.2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री शिव प्रकाश, ग्राम+पंचायत–भेंडरा, प्रखण्ड–नावाडीह, जिला–बोकारो Telephonic Conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो आयोग कार्यालय में उपस्थित।

इस वाद की आयोग में कई सुनवाईयाँ हो चुकी है। पिछले कई सुनवाई में शिकायतकर्ता ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी, द्वारा रखे गये तथ्यों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। आयोग ने इस वाद की अंतिम सुनवाई आज निर्धारित की थी और शिकायतकर्ता से यह आग्रह किया था कि वे सशरीर उपस्थित होकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा रखे गये तथ्यों के विरूद्ध अपना पक्ष रखें। लेकिन शिकायतकर्ता ने आयोग को दिनांक–15.11.2023 को एक लिखित प्रतिवेदन भेज कर सशरीर उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त की। तत्पश्चात् आयोग ने आज की सुनवाई में शिकायतकर्ता का पक्ष दूरभाष के माध्यम से सुना। शिकायतकर्ता ने जिला और प्रखण्ड स्तर के पदाधिकारियों के कार्य प्रणाली पर सवाल उठाये हैं और उनका मानना है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ की गई हैं। शिकायतकर्ता ने आज की सुनवाई में यह भी आग्रह किया कि जिन 02 PDS संचालकों को निलंबित किया गया है, उन्हें बहाल करा दिया जाए और जिन 02 को निलंबित नहीं किया गया है, उन्हें निलंबित करा दिया जाए। शिकायतकर्ता के इस आग्रह पर आयोग ने शिकायतकर्ता को स्पष्ट कर दिया कि PDS संचालक को निलंबित करना या उनका निलंबन बहाल करना आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यह शुद्ध तौर पर प्रशासनिक विषय है और ऐसा करने का अधिकार विभाग या विभाग से सम्बन्धित जिला में पदस्थापित पदाधिकारियों का है। यह प्रशासनिक लापरवाही और गड़बड़ी की शिकायत है और आयोग के पास जाँच करने की कोई मिशीनरी नहीं है।

अतः आयोग शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक–12.06.2023 को भेजे गये प्रतिवेदन एवं आगामी 15 दिनों में यदि शिकायकर्ता का कोई नया प्रतिवेदन आता है, तो उस प्रतिवेदन को विभाग के सचिव को पूरे प्रक्रण की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराने के लिये प्रेषित किया जायेगा। शिकायतकर्ता ने यदि अपना कोई नया प्रतिवेदन नहीं भेजा, तो शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक–12.06.2023 को भेजे गये प्रतिवेदन को उनका अंतिम प्रतिवेदन मान लिया जाएगा। इस वाद में विभाग से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्राप्त प्रतिवेदन की एक प्रति शिकायतकर्ता को भी भेज दी जाएगी, ताकि यदि वे विभाग द्वारा किये गये जाँच से असंतुष्ट रहे तो वे अग्रेत्तर वैधानिक कार्रवाई करने को स्वतंत्र होंगे। आदेश की प्रति सभी सम्बन्धितों को भेज दी जाए। उपरोक्त टिप्पणी के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx122